सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 624/सो.आ.नि.–346/2014
दिनाँकः 03 मार्च, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः DSAC/BSACs **को माह फरवरी, 2014 तक अनुमन्य मानदेय एवं नियत यात्रा भत्ता तथा सोशल आडिट टीमों के सदस्यों को मानदेय का भुगतान दिनांक 15–3–2014 तक सुनिश्चित किया जाना।**

महोदय,

जनपद स्तर पर खोले गए बचत खाता की सूचना उपलब्ध कराए जाने विषयक इस निदेशालय के पत्र सं0 581/सो0आ0नि0–346/2014 दिनांक 07–2–2014 का संदर्भ लें। उक्त पत्र द्वारा यथापेक्षित जिन जनपदों से ''जिला विकास अधिकारी, सोशल आडिट'' के नाम से खाता खोलते हुए निरस्त चेक स्कैन कर निदेशालय के ई–मेल socialauditup@yahoo.in पर या फैक्स नं0 0522–4003787 पर उपलब्ध कराए जा चुके हैं, उन्हें DSAC/BSACs के मानदेय एवं नियत यात्रा भत्ता तथा सोशल आडिट टीमों के सदस्यों को अनुमन्य मानदेय की धनराशि ई–ट्रांसफर के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिन जनपदों में अभी तक खाता नहीं खुला है उनसे अपेक्षित है कि वे निदेशालय के पूर्वोक्त पत्र दिनांक 07–2–2014 में यथानिर्दिष्ट ''जिला विकास अधिकारी, सोशल आडिट'' के नाम से बचत खाता खोलकर विवरण एवं निरस्त चेक की प्रति तत्काल उपलब्ध कराएं।

सभी जिला विकास अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि होली के पूर्व अर्थात् 15–3–2014 तक सभी DSAC/BSACs एवं टीम के सदस्यों को अनुमन्य धनराशि का नियमानुसार भुगतान कर दिया जाए। जिला विकास अधिकारी से वांछित विवरण प्राप्त होने पर निदेशालय द्वारा दिनांक 11–3–2014 तक शेष जनपदों को भी आवंटन कर दिया जाएगा। अतः कृपया निदेशानुसार कार्यवाही करते हुए होली से पूर्व मानदेय तथा नियत यात्रा भत्ता का भुगतान सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शंकर सिंह)
निदेशक।

Rks/Gen.letter/Desktop

पृष्ठांकन संख्याः 624 / सो0आ0नि0–346 / 2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(शंकर सिंह)
निदेशक।